न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :–संदीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/19

1. गुरचरण सिहं पुत्र श्री सरवन सिहं जाति जटसिख निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर
2. गुरदीपसिहं पुत्र श्री सरवन सिहं जाति जटसिख निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिहंनगर
3. बलकरण सिहं पुत्र श्री मलकियत सिहं जाति " " "
4. जसमंत सिहं पुत्र श्री मलकियत सिहं जाति " " "
5. परमजीतकौर पत्नी श्री मलकियत सिहं जाति जटसिख निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिहनगर

–वादीगण

बनाम

1. चरणदीप सिहं पुत्र श्री जसविन्द्र सिहं जाति जटसिख सा. ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर
2. जसविन्द्रसिहं पुत्र श्री हरबचनसिहं जाति जटसिख " " "
3. मखनसिहं पुत्र श्री हरबचनसिहं जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील व जिला मुक्तसर(पंजाब)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
5. जगवन्तकौर उर्फ जसवन्तकौर पत्नि श्री जगरूप सिहं पुत्र श्री सरवनसिह जाति जटसिख निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :–

1.श्री गुरूप्रताप सिहं , वकील वादीगण
2. श्री विनीत कुमार त्यागी, वकील प्रतिवादी सं. 1ता 3
3. श्री प्रवेशकुमार वकील प्रतिवादी सं. 5

–:निर्णय:–

दिनांक :–09.07.2019

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के पिता/दादा/ससुर सरवन सिहं के हकीकी भाई गजनसिहं चक 9 एफ डी व 8 एफ डी में खातेदारी भूमि धारण करते थे जिसकी वैध वसीयत उन्होने अपने जीवन काल में अपने भाई सरवनसिहं के पक्ष में करवा दी ओर गजनसिहं लाऔलाद फोत हो गये थे। सरवनसिहं का भी देहान्त हेा चुका है ओर वसीयत भूमि सरवनसिहं के वारिसान के नाम से वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 चक 8 एफ डी के संयुक्त खाता न. 15 प.न. 247/241 मु.न. 29 के कि. न. 1 ता 7/1की 1.581है0 नहरी खातेदारी में वादीगण गुरचरण सिहं व गुरदीप सिहं हर बहिब. 0.922है0 तरतीबी प्रतिवादीया जसवन्तकौर उर्फ जगवन्तकौर का 0.197है0 वादीया परमजीतकौर का .330है0 वादीगण बलकरण सिहं व जसमंतसिहं 0.132है0हर ब.हि.ब. व चक 9 एफ डी के संयुक्त खाता न. 8 में प.न. 261/245 मु.न. 39 के कि.न. 5–6–15–16 –25 की 1.265है0 नहरी भूमि व प.न. 261/246 मु.न. 54 के कि.न. 4/2 के .063 है0 , 5के. 253है0/0.316है0 कुल खाता योग 1.581है0 नहरी खातेदारी में वादीगण गुरचरण सिहं व गुरदीपसिहं ब.हि.ब.0.460है0 तरतीबी प्रतिवादी जगवन्तकौर की .099 है0 वादीया परमजीतकौर

उपखण्ड अधि.
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

0.165है0 वादीगण बलकरण सिहं व जसवमंतसिहं ब.हि.ब. 0.066 है0 नहरी भूमि खातेदारी है। विवादित भूमि काफी उपजाऊ होने से कीमती है जिसे साजिशाना तरीके से हथियाने व उड़पने के आशय से फर्जी व कूटरचित ईकरारनामा विवादित भूमि का तैयार करते हुये सिविल वा रेवेन्यू न्यायालय में प्रतिवादीगण के पूर्वज हरबचन सिहं ने चाराजोई प्रारम्भ कर दी जिसे हरबचन सिहं के देहान्त उपरान्त प्रतिवादीगण ने निरन्तर रखते हुये वादीगण से रंजिश रखे हुये है, मगर सिविल न्यायालय ने तथाकथित फर्जी व कूटरचित ईकरारनामा वा कब्जा प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित नहीं मानते हुये प्रकरण खारिज फरमाया गया और रेवेन्यू न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। तब प्रतिवादीगण ने वादीगण विवादित रकबा से जबरन–बलपूर्वक–विधिविरूध व दोषपूर्ण तरीके से बेदखल कर अतिक्रमण करने की साजिश व षड़यंत्र रचा । उक्त साजिश व षड़यंत्रर्गत प्रतिवादीगण ने कुछ दिन पहले वादीगण को विवादित भूमि चक 9 एफ डी के संयुक्त खाता न. 8 में प.न. 261/245 मु.न. 39 के कि.न. 5–6–15–16 –25 की 1.265 है0 नहरी भूमि व प.न. 261/246 मु.न. 54 के कि.न. 4/2 के .063 है0 , 5के.253है0/0.316है0 कुल खाता योग 1.581है0 नहरी में से वादीगण के 0.790है0 में से 0.410 है0 नहरी रकबा से वादीगण को जबरन बलपूर्वक विधिविरूध व दोष पूर्ण तरीके से बेदखल कर अतिक्रमण कर नाजायज रूप से काब्जि हो गये। जिस पर बेदखल करवाने की चाराजोई करने पर मौका मुआयना के लिये गये राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों के साथ भी प्रतिवादी पक्ष ने मारपीट व अभद्र व्यवहार कर राजकार्य बाधित किया गया, जिसके संबंध में पुलिस थाना गजसिहंपुर में उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ ।जिसमें अनुसंधान जेरकार है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैधानिक वा गैरकानूनी है उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है ओर वादीगण खातेदार होने से वाद लाने के कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि वे बेदखल होने की स्थिति में कब्जा अन्य हाथों में सुर्पुद कर देगें । प्रतिवादीगण ने भूमि कब्जा मय पानी बमुकाम ख्यालीवाला में दिनांक 8.5.2019 को सुर्पद करने से इन्कार हो गये यही तारीख पैदा होने बिनाये मुखास्मत है। प्रतिवादीगण उक्त रकबा को उपयोग –उपभोग कर लाभ प्राप्ति के अधिकारी नहीं है ओर वादीगण उक्त रकबा के उपयोग –उपभोग से व लाभ से अपने उक्त कृत्य से वंचित कब्जा प्राप्त होने तक बतौर हर्जाना 25,000/–रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष से पाने का कानून अतिधकारी है। प्रतिवादी सं. 4 भू– धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया ।

अतः वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्र फरमाया जावे कि चक 8 एफ डी के संयुक्त खाता न. 15 प.न. 247/241 मु.न. 29 के कि.न. 1 ता 4 की 0.886है0 नहरी व चक 9 एफ डी के संयुक्त खाता न. 8 में प.न. 261/245 मु.न. 39 के कि.न. 5–6–15–16 –25 की 1.265है0 नहरी भूमि व प.न. 261/246 मु.न. 54 के कि.न. 4/2 के .063 है0 , 5 के .253 है0/0.316है0 कुल खाता योग 1.581है0 में से वादीगण के 0.790है0 में से 0.410है0 नहरी खातेदारी पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुये बेदखल कर कब्जा भूमि मय पानी वादीगण को दिलवाया जाने की डिक्री बहक वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण पारित की जावे। विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर रिसीवर के सुर्पद जावे। विकल्प में वाद दायरी से कब्जा प्राप्ति तक बतौर हर्जाना 25,002/–रूपये प्रतिबीधा प्रतिवर्ष प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1ता 3 की ओर से श्री विनीत कुमर त्यागी अधिवक्ता उपस्थित आये। तथा प्रतिवादी सं. 5 की ओर श्री प्रवेश कुमार अधिवक्ता दिनांक 26.6.2019 हाजिर आये एवं वकील प्रतिवादीगण के द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाह जाने पर अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जबाव दिनांक 1.7.2019 नियत की गई। दिनांक 1.7.2019 को प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा पेश नहीं करने पर न्यायहित में एक अवसर ओर दिया गया तथा आगामी पेशी पर जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर जबाव स्वत/बन्द समझे जाने के आदेश दिये है। पत्रावली दिनांक 3.7.2019 को नियत की गई। तारीख पेशी 3.7.2019 को वकील प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने तथा जबाव पेश नहीं करने के कारण जबाब बन्द किया गया। पत्रावली दिनांक 8.07.2019 को वास्ते बहस नियत की गई। दिनांक 8.7.2019 को वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10व 11 सी पी सी का प्रस्तुत किया। जो खारिज किये गये ।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रकरण समरी ट्रॉयल का है। जिसका रिकॉर्ड के आधार पर ही निस्तारण किया जाना है। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रकरण में कोई जबाव दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का जबरने नाजायज कब्जा कर रखा है। विवादित भूमि का कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने कोई जबाव दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस पक्षकार पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वाके चक 8 एफ डी की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता न. 15/214 प.न. 247/241 मु.न. 29 के 1.581है0 नहरी भूमि में गुरचरण सिहं ,गुरदीपसिहं , नसीबकौर जरनैलकोर , गुरजीतकौर कर्मजीतकोर पि. सरवनसिहं हर छ ब.हि.ब. 1.186है0 जसवन्तकौर पत्नि जगरूपसिहं .197 है0 हरतीनबहिब कोम जटसिख सा. 6 एफ डी खातेदार , नामान्तरण सं. 437 दिनांक 26.6.2018 हकत्याग गुरचरणसिहं , गुरदीपसिहं पि. सरवनसिहं बहिब .922है0 जसवन्तकौर पत्नि जगरूपसिहं .197है0 परमजीतकौर पत्नि मलकीतसिहं .330 है0 बलकरण सिहं ,जसवन्तसिहं पि. मलकीतसिहं बहिब .132 कोम जटसिख सा. देह खातेदार दर्ज हैं । चक 9एफ डी की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता नं. 8/10 के प.न. 261/245 मु.न. 39 के कि.न. 5–6–15–16 –25 की 1.265है0 नहरी भूमि व प.न. 261/246 मु.न. 54 के कि.न. 4/2 के .063 है0 , 5 के .253 है0/0.316है0 कुल खाता योग 1.581है0 गजनसिहं पुत्र मिढासिहं 1/2 हि. हरबचनसिहं पुत्र सजनसिहं 1/2हि. जाति जटसिख सा. 6एफ डी खातेदार दर्ज है। इसी कॉलम नं. 11से 13 में अंकित है कि नामा. स. 411 दिनांक 5.2.2014 विरासत हरबचन सिहं फौत , जसविन्द्रकौर, मनजिन्द्रकौर,मनदीपकौर , जसविन्द्रसिहं , मखनसिहं पि.हरबचनसिहं हर

Scanned by CamScanner

पांच बहिव1/2 हि. बाकी खाता बस्तूर । हकत्याग जसविन्द्रकौर, मनजिन्द्रकौर,मनदीपकौर वाया जसविन्द्र सिहं , मखन सिहं पि. हरबन्शसिहं बहिव1/2 हि. बाकी खाता बदस्तुर।उक्त रकबा ओ.बी.सी. शाखा गजसिहंपुर के रहन है। तथा गजनसिहं फौत होने पर 1/2 हिस्सा वसीयत इ.न. 503 दिनांक 14.6.2018 के सरवनसिहं पुत्र मिढासिहं के नाम ,सरवनसिहं फौत होने पर विरास्त गुरचरण हिसं , गुरदीपसिहं , नसीबकौर , जरनेलकौर , गुरजीतकौर , कर्मजीतकोर , पि. सरवनसिहं हर छबहिव .592है0 , जगवन्तकौर पत्नि जगरूप सिहं .099है0 , , परमजीतकौर पत्नि मलकिलसिहं , बलकरण सिहं , जसमत सिहं पि. मलकियत सिहं हर तीनबहिव .099 है0 कोम जटसिख बाकी खाता बदस्तूर। नसीबकौर वगैरा हकत्यार बाया इ.न 505 दिनांक 22.6.2018 के गुरचरण सिहं गुरदीपसिहं पि. सरवनसिहं बहिव.490है0 , जगवन्तकौर पत्नि जगरूपसिहं .099है0 , परमजीतकौर पत्नि मलकीतसिहं .165है0 , बलकरण सिहं ,जसमतसिहं पि. मलकियत सिहं बहिव.066 है. बाकी खाता बदस्तूर। मुताबिक जमाबन्दी विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी दर्ज है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण बतौर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है । प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबावदावा/ दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी धोषित कर विवादित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होने के कारण विवादित भूमि से बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक 8 एफ डी के संयुक्त खाता न. 15 प.न. 247/241 मु.न. 29 के कि.न. 1 ता 4 की 0.886है0 नहरी व चक 9 एफ डी के संयुक्त खाता न. 8 में प.न. 261/245 मु.न. 39 के कि.न. 5–6–15–16 –25 की 1.265है0 नहरी भूमि व प.न. 261/246 मु.न. 54 के कि.न. 4/2 के .063 है0 , 5 के .253 है0 /0.316है0 कुल खाता योग 1.581है0 में से वादीगण के 0.790है0 में से 0.410है0 नहरी खातेदारी पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

/ रायासहनगर

11.07.2019	आज यह पत्रावली वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 152-151 CPC प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 01-07-19 में जमावन्त और की तरतीबी प्रतिवादी को [illegible]
	P.T.O.

Scanned by CamScanner

बताया गया था, जिससे कोई अनुतोष
नहीं चाहा गया है परन्तु निर्णय में
सहवन से लिपिकीय भूलवश जगवन्तकौर
को तरतीबी प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिवादी
सं. 5 दर्शाया गया है अतः निर्णय अनवान
में दुरूस्ती कर जगवन्तकौर को तरतीबी
प्रतिवादीया के रूप में दर्ज करने हेतु
निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन
किया। वाद पत्र के शीर्षक में प्रतिवादी सं.
5 जगवन्तकौर उर्फ जसवन्तकौर तरतीबी
प्रतिवादी है जिसे निर्णय में प्रतिवादी सं.
5 दर्शाया गया है। जिसकी दुरूस्ती की
जानी उचित प्रतीत होती है क्योंकि
वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 5 से कोई
अनुतोष नहीं चाहा गया है अतः
निर्णय के शीर्षक में प्रतिवादी सं. 1 ता 4
को प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 को
तरतीबी प्रतिवादी लिखा जावे तथा समझा
जावे निर्णय दिनांक 01.07.15 में शीर्षक
में लाल स्याही से प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के
आगे प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 के
आगे तरतीबी प्रतिवादी अंकित किया जावे
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner